न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/3486/2003/जालौर

1– खेता पुत्र किशना माली मृतक जरिए कायम मुकामः–

1/1– अमरा

1/2– नैनाराम

1/3– मोहनलाल

1/4– हूजा पुत्रगण खेता

1/5– तीजा पुत्री खेता माली पत्नी जसाराम पुत्र नरसिंह

समस्त जाति माली निवासीयान रतनपुरा।

–अपीलांटस

बनाम

1– मंदिर श्री अटल बिहारी जी (मूर्ति) शाश्वत नाबालिग द्वारा वादमित्र प्रेमकुमार रामावत पुत्र ओखाराम जाति रामावत संत निवासी जालौर

2– तहसीलदार, आहोर

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलांटस

श्री एस0पी0औझा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः– 24.06.2025

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा अपील संख्या 22/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है रेस्पो0 ने अपीलांटस के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर, जालौर के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि ग्राम रतनपुरा में स्थित विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 51 रकबा 4.58

है0 किस्म बारानी दोयम जिसके खोतदारी अधिकारी मंदिर श्री अटल बिहारी जी के नाम से है तथा उक्त मंदिर की पूजा का काम ओखाराम पुत्र गबीराम संत करते थे। विवादित भूमि उनके नाम बहैसियत पुजारी उपकृषक के रूप में दर्ज थी किन्तु प्रतिवादी ने भू–प्रबंध अधिकारियों से मिलीभगत कर स्वयं का नाम उपकृषक के रूप में दर्ज करवा लिया है। अतः प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर ओखाराम पुत्र गबीराम के नाम दर्ज किया जावें तथा विवादित भूमि का कब्जा ओखाराम पुत्र गबीराम संत को दिलाया जावें। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.03.2002 द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष पेश की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2003 द्वारा खारिज कर दिया । अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3– हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4– अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि तहत न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ने दस्तावेजी साक्ष्य से वाद को साबित नहीं करवाया था। तहत न्यायालय ने तनकी संख्या 1 को अपीलांट के विरूद्ध निर्णित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार रेस्पो0 संख्या 1 पर था लेकिन रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं करवाया है तथा ना ही ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए है जिससे रेस्पो0 संख्या 1 के वाद कथन साबित होते हों। उक्त वाद प्रेमकुमार रामावात ने वादमित्र की हैसियत से प्रस्तुत किया है जिसमें सही तथ्यों को छिपाने का प्रयत्न किया गया है जबकि अपीलांटस ने अपने जवाबदावे में यह स्पष्ट कर दिया था कि पूर्व में वादग्रस्त भूमि पर काश्त आईदान करता था तथा जिसे गबीराम आदि ने भूमि छुड़वा दी थी और बतौर काश्तकार गबीराम आदि भूमि

सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर खातेदार हो चुके थे। उक्त भूमि कभी भी मंदिर श्री अटलबिहारी जी की नहीं रही है । यदि ओखाराम व जमनादास मंदिर श्री अटलबिहारी जी की सेवा पूजा करते थे तथा उन्होंने मंदिर या मूर्ति के नाम रिकार्ड तैयार करवा लिया है तो भी अपीलांटस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तथा ओखाराम व मोहनदास को वादग्रस्त कृषि भूमि में हेरिटेबल व ट्रांसफरेबल खातेदार कृषिक के अधिकार प्राप्त थे तथा इन्होंने उक्त अधिकारों को दिनांक 18.07.66 को बएवज 1000/–रूपये में खेता को बेचान कर मुंतकिल किए जिसका बेचान दस्तावेज पंजीयन करवाया गया था। इस प्रकार उक्त भूमि वक्त खरीद के रेस्पो0 संख्या 1 की नहीं रही तथा वाद के दौरान सेटलमेंट के समय रेस्पो0 संख्या 1 मंदिर के नाम दर्ज कर दी जो कतई अनुचित थी। वाद के दौरान राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करना अवैधानिक है। अधी0न्याया0 ने अपीलांटस/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावें के कथनों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी साबित नहीं किया कि जागीर रिजम्पशन के समय वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 संख्या 1 की खुदकाश्त रही है। उक्त जमीन कभी भी रेस्पो0 संख्या 1 की खुदकाश्त नहीं रही है। माननीय मण्डल न्यायालय ने भी अपने निर्णयों में ऐसा विनिश्चय किया है कि संवत् 2012 में मंदिर की भूमि खुदकाश्त नहीं होने पर ट्रांसफर को अवैध नहीं माना है तो ऐसी स्थिति में उक्त प्रकार से निर्णय किया जाना चाहिए था, लेकिन अधी0न्याया0 ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर बेचान दस्तावेज को अवैध व शून्य मानते हुए व बिना किसी आधार के रेस्पो0 संख्या 1 की जमीन मानने में त्रुटि कारित की है। वादग्रस्त आराजी का अपीलांटस खातेदार है और वाद के दौरान किए गए मंदिर के नाम तमाम इंद्राज निरस्त किए जाने योग्य है। अधी0न्याया0 ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि तनकी संख्या 2 के संबंध में दी गई फाईंडिंग कतई गलत है। अपीलांट खेता के द्वारा वादग्रस्त आराजी खरीदने के पश्चात् म्यूटेशन भरा गया तथा म्यूटेशन के बाद जमाबंदी में बतौर खातेदार खेता का नाम दर्ज है। वक्त खरीद के बिगोडी अपीलांटस की ओर से भरी जा रही है और मौके पर कब्जा भी वक्त खरीद से अपीलांटस का चला आ रहा है जो एक स्वीकृत तथ्य है तथा वाद के समय खातेदारी इन्द्राज भी अपीलांटस के नाम दर्ज है। वाद के दौरान रेस्पो0 संख्या 1 का नाम सेटलमेंट के समय गलत आधारों पर विधिविरूद्ध अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिए बिना एकतरफा मंदिर के

नाम गलत इन्द्राज किया है। सेटलमेंट विभाग को खातेदारी इन्द्राज में परिवर्तन करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 3 को निर्णित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अपीलांटस के पिता खेता का नाम बहैसियत खातेदार के रूप में दर्ज था तथा उक्त वादग्रस्त आराजी कानूनन रेस्पो0 संख्या 1 की कभी नहीं रही है। अधी0न्याया0 ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि अपीलांटस का कब्जा वक्त खरीद से चला आ रहा है तथा जिसकी अवधि 12 साल से अधिक हो चुकी है तथा 12 साल तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा कानूनी कार्यवाही कर कब्जा प्राप्त करने की चेष्टा न करने पर धारा 27 लिमिटेशन एक्ट के तहत उसके हकूक समाप्त जाते हैं तथा कब्जा प्राप्ति का दावा 12 साल के भीतर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अधी0न्याया0 ने इन समस्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किए जाने में कानूनी त्रुटि कारित की है। तनकी संख्या 5 के संबंध में अधी0न्याया0 ने जो फाईंडिंग दी है वह कतई गलत व अनुचित है। इस वाद में ओखाराम व मोहनदास के कायम मुकाम आवश्यक पक्षकार है तथा उन्हें पक्षकार न बनाने से अपीलांटस का केस प्रेजूडिस हुआ है क्योंकि ओखाराम व मोहनदास ने बहैसियत खातेदार वादग्रस्त आराजी का बेचान किया है तथा सही स्थिति उनके द्वारा ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती, उनके अभाव में रेस्पो0 का वाद पोषणीय नहीं था, इसके उपरांत भी अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार के तनकी संख्या 5 का निर्णय अपीलांटस के विरूद्ध पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेस्पो0 ने ओखाराम को कब्जा सुपुर्द करने की रिलीफ मांगी है। वाद में मांगी गई रिलीफ के अतिरिक्त अन्य रिलीफ दिया जाना कानूनन गलत है। अधी0न्याया0 ने तहसीलदार आहोर को कब्जा लेने हेतु निर्देश दिए है जो वाद की रिलीफ के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2003 निरस्त करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 का वाद निरस्त किया जावें तथा वाद के दौरान सेटलमेंट द्वारा किए गए इन्द्राज को भी हटाने के आदेश प्रदान करावें।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । जमाबंदी संवत् 2009–2010 में विवादित भूमि डोली श्री अटल बिहारी जी के नाम से दर्ज है एवं आज तक मूर्ति के नाम अंकित होकर डोली के रूप में दर्ज है । भू–प्रबंध

विभाग द्वारा जारी किया गया पर्चा लगान भी डोली के नाम से जारी किया गया है, जो मूर्ति के पक्ष में है । पंजीकृत लेख्य पत्र मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से प्रारंभ से शून्य है तथा ऐसे लेख्य पत्र से प्रतिवादीगण को कोई विधिक हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा ना ही ऐसे लेख्य पत्र को निरस्त कराने की कानूनन आवश्यकता है । जहां तक प्रतिवादी/अपीलांट का कथन कि मूर्ति मंदिर द्वारा समयावधि में वाद पेश नहीं किया गया है, यह कथन उचित नहीं है । क्योंकि विवादित भूमि मूर्ति मंदिर श्री अटल बिहारी जी की है तथा मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है । अतः मूर्ति मंदिर की भूमियों बाबत् परिसीमा का प्रश्न नहीं उठता है । अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जा ओखाराम के स्थान पर देवस्थान विभाग को दिये जाने के आदेश विधिसम्मत् है क्योंकि ओखाराम एवं मोहनदास द्वारा मंदिर मूर्ति की आराजी का बेचान खेता पुत्र किशना माली को दिनांक 18.07.1966 को किया गया है । इसलिये जिस व्यक्ति ने बतौर पुजारी बिना अधिकार नाबालिग मंदिर मूर्ति की भूमि का बैचान किया हो उसे किसी भी स्तर पर पुनः भूमि का कब्जा दिलाया जाना उचित नहीं है । इन्हीं समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर विचारण न्यायालय ने वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर विवादित भूमि की सुरक्षा हेतु विवादित भूमि का कब्जा तहसीलदार, आहोर को देने के आदेश प्रदान किये है जो विधिसम्मत् निर्णय है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7– हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

8– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी श्री प्रेमकुमार रामावत पुत्र औखाराम ने जरिये वाद मित्र मंदिर श्री अटल बिहारी जी (मूर्ति) शाश्वत नाबालिग की ओर से सहायक कलेक्टर, जालौर के न्यायालय में बाबत् घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि मौजा रतनपुरा में विवादित कृषि भूमि खसरा नंबर 51 रकबा 4.58 है0 भूमि किस्म बारानी दोयम अवस्थित है । इस भूमि के खातेदारी अधिकार मंदिर श्री अटल बिजारी जी के नाम से है । मंदिर की भूमि का उपकृषक पुजारी होता है जो मंदिर की पूजा करता है तथा मूर्ति की व्यवस्था देखता है । मंदिर की पूजा का काम ओखाराम पुत्र गबीराम सन्त करते थे तथा इस कृषि भूमि खसरा नंबर 51 पर भी पहले उनका नाम बहैसियत पुजारी के उपकृषक के रूप में दर्ज था

। प्रतिवादी ने सेटलमेंट के अधिकारियों से मिलकर स्वंय का नाम उपकृषक के रूप में दर्ज करवा लिया है । प्रतिवादी मंदिर का पुजारी नहीं है । अतः विवादित आराजी बाबत् प्रतिवादी का नाम उपकृषक की हैसियत से हटाया जावे ओखाराम पुत्र गबीराम सन्त का नाम दर्ज किया जाकर भूमि का कब्जा ओखाराम पुजारी को दिया जावे । विचारण न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर कथन किया कि यह मंदिर सार्वजनिक मंदिर नहीं है, मंदिर में बहुत छोटी मूर्ति है । यहां कोई पूजा नहीं करता है । प्रेमकुमार वाद मित्र नहीं है । विवादित आराजी का खातेदार मंदिर नहीं बल्कि प्रतिवादी है । वादी के पिता ओखाराम व मोहनदास को वादग्रस्त कृषि भूमि में हेरिटेबल ट्रांसफरेबल खातेदारी अधिकार प्राप्त थे, जिन्होनें यह अधिकार प्रतिवादी खेता को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से भूमि बैचान कर हस्तातंरित कर दिये थे तब से विवादित आराजी पर कब्जा काश्त प्रतिवादी का चला आ रहा है । अतः वाद वादी खारिज किया जावे । विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर प्रकरण में कुल 6 तनकीयात कायम की ।

9– विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 यह कायम की कि– **"आया विवादग्रस्त आराजी मौजा रतनपुरा के खसरा नंबर 51 सदैव से डोली बनाम श्री अटल बिहारी जी के नाम से चली आ रही है व वर्तमान में भी उक्त आराजी डोली की है ?** उक्त तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का भार वादी पर था ।

वादी ने उक्त तनकी को सिद्ध करने हेतु गवाह पी0डब्ल्यू0 1 प्रेम कुमार, पी0डब्ल्यू0 2 अमरसिंह के बयान कराये है, जिन्होंने अपने बयानों में मंदिर का पुजारी ओखाराम को बताया साथ ही प्रतिवादी को मंदिर का पुजारी नहीं होने बाबत् भी कथन किया है । इसी प्रकार गवाह डी0डब्ल्यू0 1 नैनाराम ने अपने बयानों में कथन किया कि हमनें विवादित भूमि मोहनदास व ओखाराम से खरीदी थी, जिसका बैचान दस्तावेज इ.एक्स.पी. 1 है । विवादित आराजी कभी भी मंदिर की नहीं रही है । वादी ने अपने कथनों के समर्थन में फोटो प्रति सेटलमेंट माफी ऑफिसर जोधपुर का दिनांक 26.02.1942 पेश की जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि मौजा रतनपुरा में आराजी डौली खसरा नंबर 25 रकबा 27 बीघा बाद तहकीकात बनाम मंदिर ठाकुरजी श्री अटल बिहारीजी ब ऐतनाम पुजारी जमनादास वल्द गबीराम कौम साद दफ्तर हाजा से बहाल हो

चुकी है । इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2044 से 2047 में खातेदार मंदिर श्री अटलबिहारी जी वाके कस्बा जालौर खातेदार खेता वल्द किशना कौम माली सा0देह उप कृषक दर्ज है । इसी प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति बेचान दस्तावेजी इ.एक्स.पी. 1 से स्पष्ट होता है कि बैचान रजिस्ट्री से ओखाराम व मोहनदास द्वारा उक्त विवादित आराजी का बैचान प्रतिवादी खेता को किया गया था । प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत पर्चा खतौनी सेटलमेंट राजस्थान राज्य इ.एक्स.पी.2 में यह नोट अंकित है कि **"मुताबिक हुक्त श्रीमान् ए.एस.ओ. साहब जालौर के आदेश दिनांक 18.11.1955 द्वारा पुजारी मोहनदास व ओखाराम का नाम दर्ज किया जाना करार पाया गया । यह पर्चा में उप कृषक आईदान वल्द खुमा कौम माली के नाम जारी किया गया था जिसे बाद में दुरूस्त किया जाकर उप कृषक पुजारी मोहनदास व ओखाराम का दर्ज किया गया । इसी पट्टे में अंकित नोटस यह लगा है कि आईदान ने उक्त भूमि मंदिर की होने से पट्टा नहीं लेना चाहा है ।"** उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं बयानों से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात खसरा गिरदावरी सवंत् 2000 से 2029 के अनुसार मंदिर डोली बनाम मंदिर श्री अटल बिहारी जी के नाम खातेदारी में दर्ज रही है । तत्पश्चात् पुजारी मोहनदास व ओखाराम द्वारा प्रतिवादी खेताराम को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के बेचान किया गया है । उक्त विक्रय पत्र के आधार पर खेताराम के नाम नामांतकरण पारित किया जिसे सेटलमेंट विभाग द्वारा नवीन सेटलमेंट जमाबंदी के उक्त आराजी को पुनः मंदिर श्री अटल बिहारी जी वाके कस्बा जालौर की खातेदारी में दर्ज किया गया है । इसी प्रकार ग्राम रतनपुरा तह0 आहौर की खतौनी जमाबंदी संवत् 2040 से 2059 के अनुसार भी खसरा नंबर 51 रकबा 4.58 है0 मंदिर श्री अटल बिहारी जी वाके कस्बा जालौर खातेदार खेता वल्द किशना कौम माली सा0देह उपकृषक दर्ज है । जमाबंदी संवत् 2044 से 2046 में भी यही इंद्राज है । उपरोक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रारंभ से मंदिर श्री अटलबिहारी जी वाके जालौर की खातेदारी की रही है । इसके बावजूद मंदिर के पुजारी मोहनदास व ओखाराम द्वारा विवादित आराजी का बेचान प्रतिवादी खेताराम को किया गया है । मंदिर शाश्वत नाबालिग है जिसकी आराजी की खातेदारी किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जा सकती है तथा ऐसी भूमियों बाबत् किये गये विक्रय पत्र पर भी प्रारंभ से शून्य एवं मंदिर के हितो के प्रतिकूल है । इन्हीं समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 तथा अन्य तनकीयात वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध

निर्णित कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2002 द्वारा भूमि मूर्ति मंदिर की मानते हुए वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर मंदिर मूर्ति श्री अटल बिहारी जी की विवादित भूमि की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भूमि का कब्जा तहसीलदार, आहौर को देने तथा काश्त की व्यवस्था करने के आदेश पारित किये है, जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया जाना हम द्वितीय अपील के स्तर पर उचित नहीं समझते हैं।

10– उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में किसी प्रकार की कोई विधिक या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि नहीं होने से द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में यह अपील स्वीकार योग्य नहीं पायी जाती है ।

11– परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2003 एवं सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2002 यथावत् रखे जाते हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष